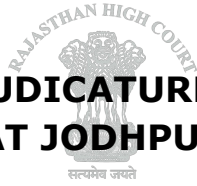


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**



S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 767/2026
CNR: RJHC010378942026 | URN: CRLAS / 1647U / 2026

Anil Verma S/o Shri Jhabarmal, Aged About 24 Years, R/o Bhagega, Police Station- Neem Ka Thana, District-Sikar. Raj. (At Present Lodged In Sub-Jail, Parbatsar)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Vipin Meghwal S/o Shri Hanumanram, Aged About 25 Years, Resident Of Village- Bilu, Police Station- Badu, District Deedwana-Kuchaman, Raj.

----Respondents

Connected With

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 845/2026
CNR: RJHC010391422026 | URN: CRLAS / 1816U / 2026

Babulal S/o Chandlal, Aged About 21 Years, R/o Girdharipura Police Station Kanota District Jaipur Rajasthan (Presently Confined In District Jail Didwana) (Custody From 14-03-2026)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Vipin Meghwal S/o Hanumanram, R/o Village Billu Ps Badu District Didwana Kuchaman Raj.

----Respondents

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1043/2026
CNR: RJHC010565222026 | URN: CRLAS / 2349U / 2026

Hari Om Banjara Alias Bhindi S/o Bhagwan Singh, Aged About 20 Years, Nangla Bahaduriya Police Station Bayana District Bharatpur Rajasthan (Presently Lodged In Sub Jail Prabatsar)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its PP
2. Vipin Meghwal S/o Hanumanram, Aged About 25 Years, Bilu Police Station Badu District Deedwana Kuchaman Rajasthan

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Mukesh Mehriya
Mr. Shakti Singh
Mr. Sanjay Bishnoi
For Respondent(s) : Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT**Order****23/07/2026**

01. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से पृथक्-पृथक् दाण्डिक अपीलें अन्तर्गत धारा 14ए(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पुलिस थाना **बडू**, जिला **डीडवाना-कुचामन** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **102/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **189(2), 115(2), 126(2), 109(1), 111(4), 111(5) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 3(1)(r)(s)(2)(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट तथा धारा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट** के मामले में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस निरस्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत हुई हैं। यह अपीलें एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने से इनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

02. बहस अपील सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थीगण-अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ताओं की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। इस मामले में गवाह श्रीमति गीता, सुश्री कोमल, वीरेन्द्र, हनुमानराम व विकास ने घटना के बारे में बताया और गवाहान ने गोली जितेन्द्रसिंह उर्फ जीतु द्वारा स्वयं के मारना आहत विपिन द्वारा बताना कहा है। इस मामले में देसी कट्टा मय कारतूस की बरामदगी आरोपी कुलदीप उर्फ केडी उर्फ बाबा से हुई है। प्रार्थीगण-अपीलार्थीगण द्वारा मारपीट करना आहत ने नहीं बताया है। कोई बरामदगी प्रार्थीगण-अपीलार्थीगण से नहीं हुई है। प्रार्थी-अपीलार्थी अनिल दिनांक 21.12.2025 तथा प्रार्थी-अपीलार्थी हरिओम बंजारा उर्फ भिंडी दिनांक 03.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रार्थी-अपीलार्थी बाबूलाल दिनांक 14.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ये दाण्डिक अपीलें स्वीकार कर प्रार्थीगण-अपीलार्थीगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने विरोध किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। गवाहों के बयानों का अवलोकन किया। आहत ने विशिष्ट रूप से फायर किसने किया, यह नहीं बताया। अन्य गवाहान ने यह बताया कि आहत ने उन्हें जितेन्द्रसिंह उर्फ जीतु द्वारा फायर करना बताया था और हथियार की बरामदगी सह-अभियुक्त कुलदीप उर्फ केडी उर्फ बाबा से हुई है। प्रार्थीगण-अपीलार्थीगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है।

06. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण-अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत ये अपीलें स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा. एवं अ.ज.जा. (अ.नि.) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना** द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **06.04.2026, 21.04.2026** अपास्त किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अपीलार्थीगण **1. अनिल वर्मा पुत्र झाबरमल, 2. हरि ओम बंजारा उर्फ भिंडी पुत्र भगवान सिंह तथा 3. बाबूलाल पुत्र चन्दालाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी-अपीलार्थी एक-एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J